रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245094
CG-DL-E-11042023-245094

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945
No. 221] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 282(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 45(अ), **तारीख** 19 जनवरी, 2018, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, निदेश (14) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(14) इस अधिसूचना से उपाबद्ध सूची में उल्लिखित औद्योगिक इकाइयों को पेट कोक की बिक्री की जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों में अतिरिक्त चूना भट्टी इकाइयों को पेट कोक की बिक्री की हेतु अनुज्ञा प्रदान करेगा।"

[फा. सं. क्यू-16017/04/2018-सीपीए(पीटी)]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 45(अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 345(अ), तारीख 9 मई, 2022 द्वारा संशोधित की गई ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2023

G.S.R. 282(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, *vide* Number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018, namely:-

In the said notification, for the direction (14), the following shall be substituted, namely:

"(14) Sale of pet coke shall be made to the industrial units mentioned in the list annexed to this notification. Central Pollution Control Board shall, on the recommendation of concerned State Government, grant permission for sale of pet coke to additional lime kiln units in National Capital Region States."

[F. No. Q-16017/04/2018-CPA(pt)]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principle notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* Number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018 and last amended, *vide* G.S.R. 345(E), dated 9th May, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.